ग्राम पंचायत ननाओं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवम उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ननाओं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सत्या परमार	4/2013 से 22.1.2016
2	श्री वेद परमार	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अजय शर्मा	4/13 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताएँः–

ग्राम पंचायत ननाओं के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना	–
2	7	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	–
3	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	1.22
4	10	बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय करना	2.16
5	11	बिना भुगतान आदेश के भुगतान	2.23
6	12	अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना	–
7	13	स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करना	–

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत ननाओं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 24.11.16 से 30.11.16 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न माहों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	3/2014	1/2014
2014–15	9/2014	8/2014
2015–16	3/2016	3/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना के गलत/अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत ननाओं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 006 दिनांक 30.11.16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत ननाओं, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत ननाओं के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	540	1664	2204	–	2204
2014–15	2204	2451	4655	–	4655
2015–16	4655	29559	34214	1800	32414

(ख) अनुदानः–

ग्राम पंचायत ननाओं के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण, संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	113162.50	1337296	1450458.50	1446296.50	4162
2014–15	4162	953336	957498	948603.00	8895
2015–16	8895	953603	962498	840944.00	121554

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

(i)	स्वः स्त्रोत का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	32414
(ii)	अनुदानों का दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	121554
(iii)	मनरेगा रोकड़ बही का 31.3.16 को अन्तशेष	शून्य
	कुल योग	**₹153968**
	दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का विवरण	
(i)	मनरेगा खाता	शून्य
(ii)	खाता संख्या 20124002667 (KCCB-Sullah)	129725
(iii)	खाता संख्या 87840100033123 (KCCB-Sullah)	26445.20
	कुल योग	**₹156170.20**
	अन्तर	**2202.20**

ग्राम पंचायत ननाओं के विभिन्न बैंक खातों व रोकड़ बहियों के अन्तशेष में ₹2202.20 का अन्तर पाया गया। अतः रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राकलन (अनुमान) तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म 11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः

बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत सदस्यों को मासिक आधार पर मानदेय का भुगतानः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में माह 01/14 के व्ययों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों को अवधि 11/12 से 01/13 तक के मानदेय का भुगतान वेतनावलि पृष्ठ संख्या 39 के अनुसार मासिक आधार पर दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 के विरूद्ध है, क्योंकि पंचायत सदस्यों कों उनकी बैठकों में उपस्थिति के आधार पर मानदेय दिया जाना अपेक्षित है। अतः इस प्रकार किये अधिक भुगतान की गणना पंचायत स्तर पर करते हुए इसकी वसूली की जाए तथा भविष्य में मानदेय का भुगतान, नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

7 पंचायत राजस्व की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि 4/13 से 3/16 के दौरान आय की वसूली करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया क्योंकि सामान्य रोकड़ बही के अनुसार न तो कभी गृहकर की वसूली की गई और न ही मोबाईल टावर इत्यादि से आय प्राप्त हुई, जबकि अंकेक्षणाधीन अवधि 4/13 से 3/16 से पूर्व, इस प्रकार की वसूलियाँ ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। अतः वर्षवार प्राप्त हुए तथा बकाया राजस्व का निर्धारण नहीं किया जा सका। अनुभाग अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 28.11.16 द्वारा उक्त पंचायत राजस्व विवरणियाँ प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। यह विवरणियाँ अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई।

8 अनुदान ₹1.22 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत को सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों के अभिलेख का रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया गया है। अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित सूचना **परिशिष्ट–I** के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹121554 उपयोग हेतु शेष थी। अनुदानों से प्राप्त राशि को अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार विहित अवधि के दौरान विकासात्मक कार्यों हेतु व्यय करना अपेक्षित था। अतः इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस राशि का व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों से पूर्ण किये जा चुके विकासात्मक कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण करना, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजअ तथा कराधान) नियम 2002 के

नियम 88 के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये तथा सभी प्राप्त हुए अनुदानों के स्वीकृति पत्र, सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों से प्राप्त करके, आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाये।

9 वाउचर न बनाकर सीधे भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चौकीदार, जलरक्षक तथा पंचायत पदाधिकारियों/सदस्यों को मानदेय का भुगतान, वाउचर तैयार किये बिना, सीधे तौर पर वेतनावलि में प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करवाकर किया जाता है, जिनके चयनित मासों में कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैः–

वा0सं0	भुगतान की मद	अवधि	राशि	वेतनावलि पृ0सं0
शून्य 3/16	चौकीदार का पारिश्रमिक/मानदेय	1.7.15 से 29.2.16 1800 प्रतिमाह की दर	14400	134

उपरोक्त प्रकार से किया गया भुगतान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखे, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के विरूद्ध है। अतः भविष्य में वाउचर भी तैयार करते हुये इस प्रकार के दावों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.17 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा निर्माण सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹216813 की सामग्री का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर व निर्माण सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षणाधीन अवधि में किये गए निम्न वर्णित भुगतानों को न्यायोचित ठहराने के लिए निम्न अभिलेख, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05, दिनांक 29.11.16 द्वारा अनुरोध करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिनका प्रस्तुतीकरण आगामी अंकेक्षण में सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	वा0सं0/माह	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	37/माह 01/14 (मनरेगा)	364 (CFT क्रशर ₹35 प्रति CFT की दर से मजदूरी से मस्ट्रोल	12740	भुगतान के समर्थन में बिल प्रस्तुत न करना
2	38 से 60 माह 1/14 (मनरेगा)	–यथोपरि–	367632	माप पुस्तिका संख्या 5285 तथा 6694 प्रस्तुत न करना
3	305 तथा 306 माह 8/14	–यथोपरि–	11396	माप पुस्तिका 6694 प्रस्तुत न करना
4	319 से 322 माह 8/14	–यथोपरि–	52514	
5	363 तथा 364 माह 8/14	–यथोपरि–	10318	
6	–	–	–	बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन ननाओं के निर्माण सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड (टैन्डर व माप पुस्तिका सहित)

12 स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में की गई विभिन्न खरीदों/वस्तुओं के सम्बन्धित भण्डारण रजिस्टरों का अनुरक्षण ही नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिसके फलस्वरूप क्रय किये गए सामान दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस बारे स्पष्टीकरण देते, पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें व कराधान) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार भविष्य में सभी स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाये तथा अंकेक्षणाधीन अवधि 4/13 से 3/16 तक किये गए विभिन्न क्रयों की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टि करके व उपयोग को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाये।

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया

जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–** लेखाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 75/2016–खण्ड–1– 2274–2277 दिनाँकः 20.04.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत ननाओं, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881